FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0050 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/02/2026 10:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 18/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:32 बजे **Time To (समय तक):** 13:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/02/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/02/2026 10:09:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 270 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY JILA PARISHAD CHURU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHEEKARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JODHARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAITASAR, SUJANGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAITASAR, SUJANGARH, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUBHASHCHANDRA SHARMA		पिता:MURALIDHAR SHARMA	1. KHORI,MALSISAR,JHUNJHUNU ,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी गंगानगर। विषय - रित लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, मै प्रार्थी भिकाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम जैतासर जिला चूरू का हूॅ तथा ग्राम पंचायत जैतासर का सरपंच हूॅ। मेरा सारा काम मेरा बड़ा भाई पुसाराम उम्र 38 साल देखते है। नरेगा में वर्ष 2023-24 में करवाये गये निर्माण कार्यो का 16 लाख का बिल पंचायत समिति सुजानगढ से जिला परिषद् चूरू में पास होने के लिये भेजा गया था, जो ऐतराज करके लगभग 20 दिन पहले पंचायत समिति सुजानगढ वापस भेज दिया गया था, अब 10 दिन पहले ऐतराज की पूर्ति कर वापस जिला परिषद् चूरू आ चुका है। हमारे द्वारा जिला परिषद् के सम्बधिंत बाबु सुभाष शर्मा से बिल पास करने के सम्बधं में किसी के मार्फत मुझे सूचना भेजी गई की सरपंच साहब आकर मिल लेवे, जिस पर मेरे बड़े भाई पुसाराम ने जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया तो सुभाष शर्मा ने टोटल बिल 1 प्रतिषत रिश्वत /कमीशन मांगी गई, हमारा 15 हजार में लेने देन तय हो गया, फिर सुभाष शर्मा ने दौराने वाटसप कॉल मोबाईल न. नोट करवाये और कहा कि इस पर फोन-पे कर दो, फिर मेरे भाई पुसाराम ने दिनांक 14.02.26 को 10,000/रूपये कर दिये, अपने AC से कर दिये शेष 5000/रूपये की और मांग कर रहा है। बिना रिश्वत दिये बिल पास नही कर रहा है, हम उसको रिश्वत नही देकर रंगे हाथो पकड़वाना चाहते है। हमारा उससे कोई उधार लेन-देन नही है, न ही कोई रंजिश है। रिश्वत की राशि मेरे बड़े भाई पुसाराम से मांग रहा है, इसलिये सारी कार्यवाही उनकी तरफ से करवायी जायेगी, मै मेरे भाई पुसाराम को कार्यवाही करवाने के लिये अधिकृत करता हू। प्रार्थी एसडी भीकाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी जैतासर (सुजानगढ) जिला चूरू मो.न. कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री भीकाराम पुत्र श्री जोधाराम उम्र 32 साल जाति जाट निवासी गांव जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत जैतासर पंचायत समिति सुजानगढ जिला चूरू एवं उसके बड़े भाई श्री पुसाराम पुत्र श्री जोधाराम उम्र 38 साल जाति जाट निवासी गांव जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू से दिनांक 15.02.26 को मोबाईल न0 से प्राप्त मौखिक ईतला के क्रम में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार दिनांक 16.02.26 को वक्त 8.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री भवानी सिंह कानि0, श्री धर्मवीर कानि0 एवं श्री पंकज शर्मा कानि0ड्रा0 मय बोलेरो सरकारी गाड़ी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर वक्त 12.30 पीएम पर चूरू में सरदारशहर-रतनगढ रोड़ तिराहा पर गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां परिवादी श्री भीकाराम एवं उसका बड़ा भाई श्री पुसाराम मौजूद मिले। परिवादी श्री भीकाराम ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि वह ग्राम पंचायत जैतासर पंचायत समिति सुजानगढ में सरपंच/प्रशासक है, मेरे सरपंच सम्बधी कार्य मेरे बड़े भाई श्री पुसाराम देखते है, मेरी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य राशि 16 लाख रूपये के करवाये गये थे, जिनके भुगतान सम्बधी बिल एवं दस्तावेज पंचायत समिति सुजानगढ के मार्फत जिला परिषद् चूरू भिजवाये गये, जिस पर जिला परिषद् चूरू में पदस्थापित बाबू श्री सुभाष शर्मा ने इस सम्बधं में मिलने हेतु किसी के मार्फत मुझे सूचना भिजवायी, जिस पर मेरे बड़े भाई श्री पुसाराम ने मोबाईल न0 से श्री सुभाष शर्मा के मोबाईल न0 से जरिये व्हाटसएप कॉल सम्पर्क किया तो भुगतान करवाने की एवज में उसने एक प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 15,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा मोबाईल न0 पर मेरे भाई से 10,000/रूपये रिश्वत के फोन-पे से ऑनलाईन भुगतान करवाया लिया। अब शेष रहे 5,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, बिना रिश्वत दिये भुगतान नही करने की धमकी दे रहा है। मै उसे रंगे हाथो रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूॅ।श्री सुभाष शर्मा बाबू मेरे बड़े भाईश्री पुसाराम से ही रिश्वत की मांग कर रहा है, इसलिये उसके विरूद्ध समस्त कार्यवाही मेरे बड़े भाई श्री पुसाराम ही करवायेगे। परिवादी श्री भीकाराम ने इस सम्बधं में एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका अवलोकन किया गया। परिवादी ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे बड़े भाई श्री पुसाराम की हस्तलिपि में लिखित होकर उस पर उसके हस्ताक्षर है। मौका पर मौजूद परिवादी के बड़े भाई श्री पुसाराम ने भी मजीद दरियाफ्त पर उसके भाई श्री भीकाराम द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की तथा प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करवाने हेतु लिखित सहमति दी जाकर अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी द्वारा आरोपी सुभाष शर्मा को उक्त फोन पे से भुगतान किये गये 10,000/ रूपये की रसीद का प्रिन्ट प्रस्तुत किया, जो बाद अवलोकन शामिल कागजात किया गया। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सह परिवादी श्री पुसाराम को कहा गया तो सह परिवादी ने बताया कि मै आज ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर सह परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री धर्मवीर कानि0 से आपसी परिचय करवाया गया। श्री धर्मवीर कानि0 को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर सह परिवादी श्री पुसाराम के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर जिला परिषद् चूरू की ओर सह परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया। वक्त 03.05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा सह परिवादी श्री पुसाराम एवं श्री धर्मवीर कानि0 गोपनीय स्थान पर उपस्थित आये। श्री धर्मवीर ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे पेश किया। फिर सह परिवादी श्री पुसाराम ने बताया कि मै व धर्मवीर कानि. जिला परिषद् चूरू के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचे, जहां पर श्री धर्मवीर कानि. ने मुझे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु जिला परिषद् चूरू की ओर रवाना करने पर मै जिला परिषद् चूरू में पहूंचा तो आरोपी सुभाष शर्मा कोई मिटींग में होने से कुछ समय बाद मिला, जिससे कार्य के सम्बधं में वार्ता की तो उसने मेरे से पूर्व में फोन पे से लिये गये 10,000/ रूपये लेना स्वीकार करते हुये शेष रहे 5,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा फोन-पे करने का कहा, जिस पर मेरे द्वारा एक दो दिन में व्यवस्था करके नकद ही देने हेतु कहा गया। जिस पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो सह परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। जिस पर सह परिवादी को आज ही उक्त रिकॉर्ड वार्ता को उसकी मौजूदगी में सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु कहा गया तो सह परिवादी ने बताया कि आज व कल उसे जरूरी काम है, वह दिनांक 18.02.26 को अगिम्र कार्यवाही करवा देगा। जिस पर सह परिवादी को दिनांक 18.02.26 को तयशुदा स्थान पर मिलने की हिदायत कर मौका से रूखस्त किया गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। हालात उच्चचाधिकारियो को अर्ज किये गये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर वक्त 10.05 पीएम श्रीगंगानगर पहूंचा। दिनांक 17.02.26 को वक्त 3.00 पीएम पर दिनांक 18.02.26 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवशयकता होने से उप निदेषक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 18.02.26को सुबह 5.30 एएम भिजवाने हेतु जरिये तहरीर/दूरभाष निवेदन किये जाने पर उप निदेषक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा गवाह श्री श्रवण कुमार क0स0 एवं श्री गगनदीप सिंह क0स0 को पाबंद किया गया। दिनांक 18.02.26 वक्त 5.30 एएम पर तलबिदा श्री श्रवण कुमार क0स0 एवं श्री गगनदीप सिंह क0स0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। वक्त 5.45 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री श्रवण कुमार क0स0 एवं श्री गगनदीप सिंह क0स0 एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री उपेन्द्र कुमार कानि0, शिवदत्त कानि0, श्री धर्मवीर कानि0 एवं श्री पंकज शर्मा कानि0/ड्रा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब सरदारशहर की ओर रवाना हुआ। फिनॉपथलीन पाउडर श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 से सरकारी बोलेरो गाड़ी के डेस्कबोर्ड में रखवाकर साथ लिया गया। वक्त 10.00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सूर्या मोटर मार्केट सरदारशहर स्थित गोपनीय स्थान पर पहूंच वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर सह परिवादी श्री पुसाराम उपस्थित मिला, सह परिवादी श्री पुसाराम का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री श्रवण कुमार क0स0 एवं श्री गगनदीप सिंह क0स0से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 16.02.26 को सह परिवादी श्री पुसाराम ने आरोपी सुभाष शर्मा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व सह परिवादी के कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में सह परिवादी पूसाराम ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री सुभाष शर्मा की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप के जरिये श्री धर्मवीर कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क V अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पशचात सह परिवादी श्री पुसाराम ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/-रूपये के भारतीय मुद्रा के 500-500/ रूपये के 10 नोट पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है -1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 2EQ 459014 , 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 0GT 499765, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 3CF 938634, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 3GS 112226, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 7FR 386189, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 7FR 386190, 7.

एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 2CH 457272, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 7EP 649910, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 1TE 281239, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न 8FR 410512 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी सरकारी गाड़ी बोलेरो के डेस्कबोर्ड से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री गगनदीप सिंह से सह परिवादी श्री पुसाराम की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/- रूपये के नोटो को श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 के जरिये परिवादी के पहने शर्ट की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपीके मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। सह परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री उपेन्द्र कुमार कानि0 के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे सह परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सह परिवादी श्री पुसाराम को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 11.55 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी श्री पुसाराम को उसके निजी वाहन पर श्री भवानी सिंह कानि. व श्री धर्मवीर कानि. के साथ रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह श्री गगनदीप सिंह व श्री श्रवण कुमार एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री मनजीत चलाना कानि0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री शिवदत कानि0 एवं श्री पंकज शर्मा कानि0/ड्रा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर जिला परिषद् चूरू से पहले गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां सह परिवादी पुसाराम जिला परिषद् चूरू कार्यालय में प्रवेश कर चूंका है तथा धर्मवीर कानि0 व भवानी सिंह कानि0 बाहर मुकिम है, मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 1.25 पीएम पर सह परिवादी श्री पुसाराम ने जिला परिषद् चूरू के बाहर चाय के ढाबे से मिसड कॉल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के अविलम्ब सह परिवादी पुसाराम के पास पहूंचा तो सह परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर एक थोड़ी दूर पर खड़े युवक की ओर ईशारा कर सुभाष शर्मा बाबू होना बताया तथा बताया कि मेरे से अभी-अभी 5000/ रूपये रिश्वत के ले लिये जो उसकी जैकेट की जेब में है। जिस पर उस युवक को ब्यूरो स्टाफ से काबू करवाया गया, तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी गई। मुख्य सड़क पर भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण आरोपी को जिला परिषद् के अन्दर निजी सहायक के कक्ष में ले जाकर उस युवक को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 36 साल निवासी गांव खोरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद चूरू होना बताया। फिर सुभाषचन्द्र कनिष्ठ सहायक से सह परिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब श्री पुसाराम से सम्बधिंत कोई कार्य मेरे पास पेण्डिग नही था, मैने इससे अभी-अभी 5000/रूपये उधार लिये थे, जो मेरे पहनी जैकेट के दांहिनी जेब में रखे है। फिर मौका पर सह परिवादी ने स्वतः ही रूबरू गवाहान बताया कि मेरा छोटा भाई भीकाराम ग्राम पंचायत जैतासर पंचायत समिति सुजानगढ में सरंपच/प्रशासक है, उसका कार्य मै ही देखता हू, हमारी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य राशि 16 लाख रूपये के करवाये गये थे, जिनके भुगतान सम्बधी बिल एवं दस्तावेज पंचायत समिति सुजानगढ के मार्फत जिला परिषद् चूरू भिजवाये गये, जिस पर जिला परिषद् चूरू में पदस्थापित बाबू श्री सुभाष शर्मा ने मुझे मिलने का कहने पर उससे मिला तो उसने भुगतान करवाने की एवज में उसने एक प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 15,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा 10,000/ रूपये रिश्वत के फोन-पे से ऑनलाईन भुगतान करवाया लिया तथा शेष रहे 5,000/ रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर हमारे द्वारा 16.02.26 को आपको दिये गये प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में सुभाषचन्द्र बाबू ने मेरे से पूर्व में फोन-पे से 10,000/ रूपये लेना स्वीकार करते हुये शेष रहे 5,000/ रूपये रिश्वत की मांग की है, जो आज मैने अभी अभी सुभाष शर्मा बाबू को दी है, जो इन्होने अपने पहनी जैकेट की जेब में रख लिये है। उक्त घटनाक्रम से सह परिवादी व आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा के दोनो हाथो

आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया । फिर आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी जैकेट की दाहिनी साईड की जेब में रखे होना बताया, जिस पर गवाह श्री गगनदीप सिंह से जैब चैक करवाने पर उसने 500-500/ रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जो दूसरे गवाह श्री श्रवण कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने 500-500/ रूपये के 10 नोट कुल 5000/ रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। उक्त बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जैकेट की दाहिनी साईड की जेब की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक के पहनी जैकेट उतरवायी जाकर उतरवायी गई जैकेट बरंग मूंगियां की दाहिनी साईड की जेब को उलटवाकर धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का जे-1, जे-2 अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात जैकेट की जेब को सुखाकर जैकेट को एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। उक्त रिश्वत बरामदगी एवं हाथ धुलाई आदि कार्यवाही की मन पुलिस निरीक्षक ने सरकारी मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिग की गई, जिसका जुदागाना फर्द पैन ड्राईव तैयार कर शामिल कागजात किया जायेगा। फिर आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा से जिला परिषद् चूरू में सह परिवादी पुसाराम की ग्राम पंचायत जैतासर से सम्बधिंत पेण्डिग भुगतान बिलो की सूचना एवं दस्तावेज चाहे जाने पर आरोपी सुभाष चन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक ने जिला परिषद् में लेखा शाखा में पदस्थापित होना बताया तथा सह परिवादी की ग्राम पंचायत जैतासर से सम्बधिंत भुगतान बिल ऑनलाईन पंचायत समिति के मार्फत जिला परिषद् में लेखाधिकारी श्री किशनलाल पारीक की आईडी पर आये थे, जो लेखाधिकारी द्वारा 7-8 दिन पहले पारित कर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चूरू की आइडी के मार्फत भुगतान बिल अग्रिम कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को फॉरवर्ड किये गये है। जिसका भुगतान हुआ या नही हुआ मुझे मालुम नही है। यह सारा कार्य ऑनलाईन होता है, यह दस्तावेज लेखाधिकारी श्री किशनलाल पारीक की आईडी से प्राप्त किये जा सकते है। जिस पर मौका पर लेखाधिकारी श्री किशनलाल पारीक को तलब करना चाहा तो अनुपस्थित मिले तथा मोबाईल स्वीच ऑफ आया। वक्त 3.30 पीएम पर सह परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री धर्मवीर कानि0 से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क T अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। तत्पश्चात आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक जिला परिषद चूरू को गिरफ्तार करने से सम्बधिंत फर्द कारण गिरफ्तारी मुर्तिब की कर आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। 5.00 पीएम पर अनवान सदर में घटनास्थल जिला परिषद् चूरू पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री धर्मवीर कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क V-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क V-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। उक्त विडियोग्राफी की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 17 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 6.00 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर सह परिवादी पुसाराम को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया तथा जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि श्री धर्मवीर कानि0 को सुपुर्द कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के

श्री संजीव कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री पंकज कानि0चालक के सरकारी बोलेरो से श्रीगंगानगर की ओर रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री मनजीत चलाना कानि0, श्री शिवदत्त कानि. के निजी कार से राजकीय चिकित्सालय चूरू पहूंच स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी को रात्रि सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली चूरू की हवालात में रखा गया। दिनांक 19.02.26 को आरोपी को माननीय सेषन न्यायालय भ्र0नि0अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश फरमाये जाने आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री भीकाराम जो ग्राम पंचायत जैतासर पंचायत समिति सुजानगढ में सरपंच/प्रशासक है, जिनके सरपंच सम्बधी कार्य बड़े भाई श्री पुसाराम देखते है, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य राशि 16 लाख रूपये के करवाये गये थे, जिनके भुगतान सम्बधी बिल एवं दस्तावेज पंचायत समिति सुजानगढ के मार्फत जिला परिषद् चूरू भिजवाये गये, जिस पर जिला परिषद् चूरू में पदस्थापित बाबू श्री सुभाष शर्मा से श्री पुसाराम ने दिनांक 14.02.26 को जरिये व्हाटसएप कॉल सम्पर्क किया तो भुगतान करवाने की एवज में उसने एक प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 15,000/रूपये रिश्वत की मांग की तथा 10,000/रूपये रिश्वत के फोन-पे से ऑनलाईन भुगतान करवाया लिया। अब शेष रहे 5,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, बिना रिश्वत दिये भुगतान नही करने की धमकी दे रहा है। जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.26 पर सह परिवादी श्री पुसाराम को आरोपी के पास भिजवाकर करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ लिपिक द्वारा सह परिवादी से पूर्व में फोन-पे से प्राप्त 10,000/ रूपये लेना स्वीकार करते हुये शेष रहे 5,000/रूपये रिश्वत की मांग की है। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 18.02.26 को सह परिवादी पुसाराम से सुभाषचन्द्र कनिष्ठ सहायक जिला परिषद चूरू द्वारा जिला परिषद् चूरू के बाहर चाय के ढाबे पर 5000/ रूपये रिश्वत प्राप्त कर अपने पहनी जैकेट की दाहिनी साईड की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जैकेट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग हल्का गुलाबी एवं गुलाबी प्राप्त होना, सह परिवादी के भुगतान सम्बधी कार्य पेण्डिग होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा कनिष्ठ सहायक जिला परिषद चूरू द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर सह परिवादी पुसाराम से 5,000/ रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018)का घटित होना पाये जाने पर आरोपी सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 36 साल निवासी गांव खोरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद चूरू के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र0नि0ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 36 साल निवासी गांव खोरी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद चूरू के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 371 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 381-84 दिनांक 21.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चूरू 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PINKI GANGWAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/02/2026 10:11:01

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)